FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0033 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/11/2025 17:10 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/11/2025 **Time (समय):** 17:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/11/2025 17:10 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 55 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): महिला थाना, कुरुक्षेत्र,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ईश्वर सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** सुन्दरा सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	1867, हाऊसिंग बोर्ड, सैक्टर -8, कुरुक्षेत्रKURUKSHETRA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	1867, हाऊसिंग बोर्ड, सैक्टर -8, कुरुक्षेत्रKURUKSHETRA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9991101107

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सत्यवन्ती उप निरीक्षक			1. महिला थाना,कुरुक्षेत्र KURUKSHETRA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है :-
सेवा में,
ईन्सपैक्टर साहब,
विजीलैंस कुरूक्षेत्र।

विषयः- मेरे खिलाफ दी गई झूठी शिकायत का निपटारा करने की ऐवज में रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में उप निरीक्षक सत्यवन्ती महिला थाना कुरूक्षेत्र के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करवाने बारे ।

श्रीमान जी,

निवेदन है, कि मैं ईश्वर सिंह पुत्र श्री सुन्दरा राम वासी मकान न. 1867 हाउसिंग बोर्ड सैक्टर-8 कुरूक्षेत्र का स्थाई निवासी हूं, तथा मैं वर्ष 2011 में बी.एस.एफ. से सिपाही के पद सेवानिवृत हुआ था और मेरे बच्चे विदेश में रहते है। मैने वर्ष 2019 में गांव खेडी ब्राहम्णा जिला कुरूक्षेत्र में हरजीत कौर पत्नी श्री गुरतेज सिंह वासी गांव खेडी ब्राहम्णा जिला कुरुक्षेत्र से अपनी पशु डायरी बनाने के लिए 3 कनाल 1 मरला जमीन खरीद की थी और उसी भूमि में अपना डायरी फार्म बनाया हुआ है । मेरी डायरी में खाली जगह होने के कारण हरजीत कौर भी अपनी एक गाय भी बांधती थी । फिर वर्ष 2024 में मेरे पास ज्यादा पशु होने की वजह से हरजीत कौर को मैने कहा कि अब आप अपनी गांय किसी अन्य अपने स्थान पर बांध लो क्योंकि मेरी डेयरी में ज्यादा जगह नहीं है । इस बात पर हरजीत कौर मेरे को कहने लगी कि मेरी जान पहचान की सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती है, जो महिला थाना कुरूक्षेत्र में तैनात है, मैं तुझे व तेरे परिवार को झूठे केस में फसवा दूंगी और तू जिन्दगी भर जेल में सडता रहेगा । मुझे पता चला है कि हरजीत कौर सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती के साथ कई सालों से मिली हुई है । लगभग एक महीना पहले हरजीत कौर ने मेरे विरुद्ध एक झूठी शिकायत महिला थाना कुरूक्षेत्र में दे रखी है । जिसकी कार्यवाही भी सब इन्सपैक्टर सत्यावन्ती ही कर रही है। जोकि तकरीबन एक महीने से दोनों मिलकर मुझे परेशान व तंग कर रही हैं और मेरे मोबाईल नम्बर 9991101107 पर सत्यावन्ती के मोबाईल नम्बर 9467040987 से फोन बार-बार आ रहे है । दिनांक 05.11.2025 को सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती को मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन आया और मेरे को महिला थाना में बुलाया । जिस पर दिनांक 06.11.2025 को मैं सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती के बुलाने पर थाने में गया, जहां पर सत्यवन्ती ने मेरे को कहा कि हरजीत कौर ने तेरे विरुद्ध महिला उत्पीडन की शिकायत दी हुई है और इस पर आपके खिलाफ मुकदमा बनता है । सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती ने मुझे काफी डराया व धमकाया और कहा कि तूने हरजीत कौर से मिलकर यह मामला निपटाना पडेगा नहीं तो तेरे खिलाफ केस कर दिया जाएगा । इसके उपरान्त दिनांक 21.11.2025 को सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती के बुलाने पर मैं महिला थाना में गया, जिस पर मेरे खिलाफ दी गई शिकायत को रफा दफा करने के लिए सत्यवन्ती ने मेरे से एक लाख रुपये की मांग की और हमारे बीच एक लाख रूपये में बात तय हो गयी, इस बातचीत को मैने अपने रिकार्डिंग डिवाईस में रिकार्ड कर लिया था । दिनांक 26.11.2025 को मेरे पास सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती का फोन आया और मुझे महिला थाना में बुलाया । मैं सत्यवन्ती के कहने पर महिला थाना में गया, वहां पर मैने सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती से बातचीत की जो उसी समय सत्यवन्ती के मांगने पर मैने 15 हजार रूपये उसको दे दिए और 85 हजार रूपये बाद में देने बारे कहकर वापिस आ गया । अब सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती अपने मोबाईल फोन 9467040987 से मेरे पास फोन करके बकाया 85000/- रूपये देने के लिए बुला रही है, यदि मैं उसको रिश्वत के रुपये नहीं दूंगा तो वह मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर देगी । मेरे व सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती के बीच बातचीत की रिर्कोडिंग मेरे ऑडियो रिकार्डिंग डिवाईस में हैं, जो मैं बाद में पेश कर दूंगा । मैं सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती को रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता, तथा सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती को 85,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं । मै अपनी शिकायत के साथ 500-500/- रुपये के 170 नोट मुबलिक 85,000/- रुपये आपको पेश कर रहा हूं । सब इन्सपैक्टर सत्यवन्ती के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये ।

-sd-अंग्रेजी Ishwer Singh

ईश्वर सिंह पुत्र श्री सुन्दरा राम

वासी मकान न. 1867 हाउसिंग बोर्ड सैक्टर-8, कुरूक्षेत्र ।

मो.न. 9991101107

दिनांक 28.11.2025

कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 28.11.2025 को मन निरीक्षक मय स्टाफ के हाजिर कार्यालय हूं कि मेरे मोबाईल फोन नम्बर 87088-94630 पर मोबाईल फोन नम्बर 99911-01107 से फोन आया, जो सामने वाले ने अपना नाम ईश्वर सिंह पुत्र श्री सुन्दरा राम वासी मकान न. 1867 हाउसिंग बोर्ड सैक्टर-8 कुरूक्षेत्र बतलाया तथा बताया कि उसने यह मोबाईल नम्बर हैल्प लाईन से लिया है, मैं करप्शन की रेड करवाना चाहता हूं। जो मैने पूछा कि आप कहां है तो ईश्वर सिंह ने मन निरीक्षक को बतलाया कि वह सैक्टर-8 कुरूक्षेत्र में है, जिस पर मन निरीक्षक ने ईश्वर सिंह को कार्यालय राज्य

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कुरूक्षेत्र में बुलाया, जो थोडी देर बाद ईश्वर सिंह उपरोक्त कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कुरूक्षेत्र में आ गया, कार्यालय में ईश्वर सिंह उपरोक्त ने एक हस्त लिखित दरखास्त व 85000 रूपये करेन्सी नोट मन निरीक्षक को पेश किए तथा शिकायतकर्ता ने उसके व उप निरीक्षक सत्यवन्ती के बीच बातचीत की रिर्कोडिन्ग को सुनाया, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मेरी हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500/500 रूपए के 170 अदद् करेन्सी नोट मुबलिक 85,000/- रूपए मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता ईश्वर सिंह उक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री जगबीर सिंह जिला उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त (बिक्री), कुरूक्षेत्र से उनके मोबाईल नम्बर 87083-02066 पर सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर कार्यालय रा.स.एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कुरूक्षेत्र में आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबून से महिला उप निरीक्षक सत्यवन्ती महिला थाना कुरूक्षेत्र के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC Act. 1988 व 308(2) BNS का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. उषा रानी न. 353/KTL, उ.नि. निर्भय सिंह न. 21/AMB, सिपाही मनीष न. 433/PKL, सिपाही गुलशन कुमार न. 1780/KNL के गाडी प्राईवेट तथा तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। इसी दौरान अफसरान बाला के आदेशानुसार निरीक्षक संदीप न. 32/HAP रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यू. अम्बाला मय स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87 के बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03GV-1644 जिसका चालक मु.सि. हरनेक सिंह न. 568/AMB जो पहले से किसी अन्य शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय कुरूक्षेत्र में हाजिर थे, को भी स्टाफ सहित रेड बारे अवगत करवाकर शामिल रेडिंग पार्टी किया गया। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त व स.उ.नि. कैलाश चन्द न. 994/KTL के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग नम्बर अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट कुरूक्षेत्र व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए और मन निरीक्षक नियमानुसार रेड कार्यवाही में वयस्त होती हूं।

-sd- अंग्रेजी Nanhi Devi
निरीक्षक नन्ही देवी
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उपकेन्द्र कुरूक्षेत्र।
दिनांक 28.11.2025
ऐट 03:05 PM.

अज थाना- टाईप शुदा तहरीर उपरोक्त बाजूर्म उपरोक्त बादस्त स.उ.नि. कैलाश चन्द न. 994/कैथल के थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 33 दिनांक 28.11.2025 धारा 7 PC Act. 1988 व 308(2) BNS थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल के माध्मय से सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कुरुक्षेत्र भेजी जा रही है तथा नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आने वाले स.उ.नि. कैलाश चन्द न. 994/कैथल के द्वारा अनुसंधान हेतू अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां सम्बन्धित उच्चाधिकारीयों के पास डाक के माध्यम से भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक पवन कुमार 60/ए थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Nanhi devi **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.